संख्या- 166 /2018/ 79भा0स0 /नौ-9-18-180बजट/15

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक(स्मार्ट सिटी)/निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 30 नवम्बर, 2018

विषय:- स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रदेश की निकायों हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आवासन एवं शहरी मंत्रालय के पत्र दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के निम्न निकायों के विकास संबंधी कार्यो हेतु स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि **रू0 86.00 करोड़(रूपये छियासी करोड मात्र)** को निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	**निकाय का नाम**	**मद**	**भारत सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या व दिनांक**	**स्वीकृत धनराशि**
1	इलाहाबाद	इलाहाबाद नगर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किये जाने हेतु (पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट फण्ड के रूप में) ।	k-15016/154(7)/2015-SC-1, दिनांक 31.10.2018	8600.00
			योग -	**8600.00**

(रूपये छियासी करोड मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले राष्ट्रीयकृत बैंक के स्टेट नोडल खाते में रखी जायेगी एवं स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा निर्देशों/भारत सरकार के आदेश दिनांक 20.04.2017 में उल्लिखित शर्तो के अनुसार व्यय/अंतरित की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि के संबंध में भारत सरकार के उपर्युक्त संदर्भित पत्रों में उल्लिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अनुसार धनराशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

(4) उपरोक्त स्मार्ट सिटी के लिए अवमुक्त केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि का उपभोग भारत सरकार की गाइड-लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/ मुख्य/ वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जाय।

3- इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के लेखाशीर्षक- **2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनाएं-051-निर्माण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु (के.50/रा.50-के.+रा.)-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान''** के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018, में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
29/11/18
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या- 166 /2018/79भा0स0(1)/नौ-9-18-180बजट/15 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4- निदेशक (स्मार्ट सिटी), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- नगर आयुक्त, नगर निगम, अलीगढ़/इलाहाबाद/बरेली/झांसी/कानुपर/ सहारनपुर /वाराणसी/आगरा ।
9- एस0पी0वी0, अलीगढ़/इलाहाबाद/बरेली/झांसी/कानुपर/ सहारनपुर /वाराणसी/आगरा, स्मार्ट सिटी लिमिटेड।
10- निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
29/11/18
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।